

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)


गददू पत्नि मूरा कीर नि. धुवाला वगैरा

बनाम

शिशुवाला पत्नि हुक्मचंद तेली नि. तेली मोहल्ला देवली वगैरा

किरम मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 625 / 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की लम्बाय व खरी मुद्र
22-06-22	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जाँच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम धुवाला प. ह. धुवाला तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1266/680, 680/14 कुल कित्ता 02 रकबा 0.8094 हैक्टैयर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडोसी अप्रार्थीगण है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगडी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगडी के आदेश प्रदान किये जाये। प्रार्थना पत्र की ताईद मे प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मेने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमावन्दी सम्मत 2078 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगडी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगडी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 वाले रे एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम धुवाला प. ह. धुवाला तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1266/680, 680/14 कुल कित्ता 02 रकबा 0.8094 हैक्टैयर की पडोसियान की उपस्थिति मे पत्थरगडी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500- रु तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 100 रु राजकोष मे जमा कराये। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जाये। पालना रिपोर्ट सीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 22-06-2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।</p>	


 उपखण्ड अधिकारी,
 जहाजपुर(भीलवाडा)